रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1992/कार्तिक 11, 1914
No 434] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1992/KARTIKA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन कक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1992

सा.का.नि. 843 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन न्यासी मण्डल

द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. पी.आर.—12016/21/91-पी.ई.-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

नव मंगलूर पत्तन न्यास

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1992

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न० म० प० न्यास मंडल एतद्द्वारा नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा) विनियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (परिवार सुरक्षा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1992 कहा जाएगा।

2. उक्त विनियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे :—

(1) वर्तमान के विनियम खंड 5(क) में निम्नलिखित वाक्यांश प्रतिस्थापित होंगे।
"प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह निधि के लिए रु. 20/ का अंशदान देना होगा।"

(2) खंड 5(ख) में निम्नलिखित वाक्यांश प्रतिस्थापित होंगे :—
"मंडल (बोर्ड) को निधि के लिए 2(दो) लाख रुपये का वार्षिक अंशदान करना होगा, जिस अंतराल का निर्णय समय समय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा"।

(3) खंड 8(क) में निम्नलिखित वाक्यांश प्रतिस्थापित होंगे :—
"प्रत्येक कर्मचारी, जिसकी कार्यरत समय में या तो दुर्घटना या दूसरे ढंग से मृत्यु हो या दुर्घटना में दोनों अवयवों या आंखें खोकर पूर्ण रूप से अशक्त हो जाने पर उसके नामिति को रु. 20,000 एकमुश्त राशि दी जाएगी।

(4) खंड 8(ख) में निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित होंगे :—

"कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवा समय में हो लेकिन कार्यरत समय में न हो, तो उसके नामिति को रु. 15,000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1992

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Family Security) (First Amendment) Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore as set out in the schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette

[No. PR-12016|21|91-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

New Mangalore Port Trust

New Mangalore Port Trust Employees (Family Security) (First Amendment) Regulations, 1992.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of New Mangalore Port Trust hereby makes the following Regulations, to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Family Security) Regulations, 1987.

1. These Regulations shall be called the New Mangalore Port Trust Employees (Family Security) (First Amendment) Regulations, 1992.

2. They shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.

(i) The following words shall be substituted for the existing words against clause 5(a)

Every employee shall have to make a monthly contribution of Rs. 20 to the Fund.

(ii) The following words shall be substituted for the existing words against clause 5(b).

The Board shall make an annual contribution of Rs. 2.00 lakhs to the Fund at such intervals as may be decided upon by the Chairman from time to time.

(iii) The following words shall be substituted for the existing words against clause 8(a).

A lumpsum amount of Rs. 20,000 shall be paid to the nominee of every employee who dies while on duty either due to accident or otherwise or who becomes wholly disabled by accident by loss of two limbs or two eyes.

(iv) The following words shall be submitted for the existing words against clause 8(b).

A lumpsum amount of Rs. 15,000 shall be paid to the nominee of the employee who dies while in service but not on duty.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road. New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992